न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ पुनरीक्षण

सियाराम आत्मज रामनाथ गूर्जर
निवासी ग्राम बुढेरा, तहसील- कराहल
जिला- श्योपुर मध्यप्रदेश -- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन --- अनावेदक

अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ०१/२०१४-१५ स्वमेंव पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक २६-१२-२०१५ के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-५० एवं धारा -८ मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता १६५६.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:-

१. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय की कार्यवाही अवैध अनुचित एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

२. यह कि, तहसीलदार कराहल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात अपने प्रकरण क्रमांक ०२/२००२-०३ अ-१६ में पारित आदेश दिनांक ३०-१०-२००२ से आवेदक के हित में भूमि का व्यवस्थापन किया था.

३. यह कि, प्रकरण मे विवादित भूमि पर आवेदक के पिता तथा उसके पश्चात से आवेदक का वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा है. आवेदक ग्राम -बुढेरा का स्थायी निवासी होने तथा भूमि शासन की किसी योजना हेतु सुरक्षित न होने के कारण सम्पूर्ण जॉच करने के पश्चात तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदक को वंटित की गयी थी. ऐसे बंटन को लगभग १३ वर्ष पश्चात निरस्त करने के लिये अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-829-एक/16 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	